

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च 2020—फाल्गुन 30, शक 1941

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 फरवरी 2020

क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री अजीत वसंत, भा.प्र.से. (2013), संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा अतिरिक्त प्रभार प्रबंध संचालक छ.ग. मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपर कलेक्टर जिला-गौरला-पेंड्रा-मरवाही के पद पर पदस्थ करता है.

2. श्री समीर विश्‍नोई, भा.प्र.से. (2009), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. इंफोटेक, प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), रायपुर तथा अतिरिक्त प्रभार पदेन संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म तथा प्रबंध संचालक, छ.ग. मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 मार्च 2020

क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. (2003), संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश के पद पर पदस्थ करता है।

श्री नरेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आयुक्त-सह-संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-12 के तहत प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 2 मार्च 2020

क्रमांक ई 1-02/2020/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा विभागीय आदेश दिनांक 12-12-2019 द्वारा श्री टामन सिंह सोनवानी, भा.प्र.से. (2004) को अधिसमय वेतनमान में पदोन्नत कर सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव, विमानन विभाग, संचालक, विमानन, संचालक, कृषि तथा आयुक्त गन्ना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उक्तादेश में आंशिक संशोधन करते हुए संचालक, कृषि के अतिरिक्त प्रभार के स्थान पर आयुक्त, कृषि का अतिरिक्त प्रभार प्रदान करता है।

शेष प्रभार यथावत् रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव।

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 7-29/2019/12.—छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 2(1) (ख) सहपठित नियम 6(1) (ग) के प्रावधानान्तर्गत, नियम-18(2) के तहत राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा अनुमोदन अनुसार राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित खदान/खदान समूहों के खनन से संबंधित संक्रियाओं से, कॉलम (3) में उल्लिखित जिले के समस्त क्षेत्र को आगामी आदेश पर्यन्त “प्रभावित क्षेत्र” घोषित करता है तथा कॉलम (2) में उल्लिखित खदान समूहों/खनिपट्टा क्षेत्र से प्राप्त होने वाली न्यास निधि का वितरण सम्मुख कॉलम (4) अनुसार किया जायेगा :—

तालिका

क्र. (1)	खदान/खदान समूह (2)	प्रभावित जिले (3)	प्रतिशत (4)
1.	जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा अंतर्गत स्थित लौह अयस्क के खनिपट्टे.	1. दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा 2. बस्तर 3. बीजापुर 4. सुकमा 5. नारायणपुर 6. कोण्डागांव 7. उत्तर बस्तर कांकेर	37% 20% 10% 15% 7% 7% 4%

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	जिला बालोद के अंतर्गत स्थित लौह अयस्क के खनिपट्टे	1. बालोद 2. राजनांदगांव 3. दुर्ग 4. धमतरी	50% 20% 20% 10%
3.	जिला कोरबा अंतर्गत स्थित कोयले के खनिपट्टे	1. कोरबा 2. जांजगीर-चांपा 3. बिलासपुर 4. जशपुर 5. मुंगेली 6. बेमेतरा 7. कबीरधाम	50% 20% 15% 5% 4% 3% 3%
4.	जिला कोरिया अंतर्गत स्थित कोयले के खनिपट्टे	1. कोरिया 2. बिलासपुर	90% 10%
5.	जिला रायगढ़ अंतर्गत स्थित कोयले के खनिपट्टे	1. रायगढ़ 2. जशपुर 3. महासमुंद	70% 15% 15%
6.	जिला बलौदाबाजार अंतर्गत स्थित मुख्य खनिज चूनापत्थर के खनिपट्टे.	1. बलौदाबाजार 2. रायपुर	80% 20%

2. उपरोक्त तालिका के कॉलम (3) में दर्शित जिले के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 6 (1)(ग) के अनुसार सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर एवं गरियाबंद जिलों में स्थित समस्त खनिजों की खदान/खदान समूहों की खनन एवं खनन से संबंधित संक्रियाओं से “प्रभावित क्षेत्र” उक्त जिले ही होंगे, जिसके अन्तर्गत “प्रभावित क्षेत्र” संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा घोषित किये जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 1-06/2019/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन द्वारा श्री प्रदीप गुप्ता (भापुसे-1995), पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री दीपांशु विजय काबरा (भापुसे-1997), पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर रेंज, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. श्री रतन लाल डांगी (भापुसे-2003), उप पुलिस महानिरीक्षक, राजनांदगांव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा रेंज, अंबिकापुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, उप-सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 7-05/2019/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्वारा श्री किरण गंगाराम चाव्हाण, (भापुसे 2018), परीवीक्षाधीन, जिला व्यावहारिक प्रशिक्षण, जिला बिलासपुर, छ.ग. को उनके अनुरोध पर अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम 1955 के उपनियम-15 के तहत दिनांक 10-01-2020 से 14-12-2020 (कुल 338 दिवस) तक असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चाव्हाण अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 4 फरवरी 2020

क्रमांक/509/826/2019/32.—राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क (1) एवं (2) के अंतर्गत इस विभाग की सूचना क्रमांक 3604/826/2019/32 दिनांक 06-11-2019 द्वारा बिलासपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) योजना 2031 में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :—

बिलासपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (एकड़ में)	बिलासपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2031 में दर्शित भू उपयोग	अधिनियम की धारा 23-क के तहत उपांतरित भू उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	तोरवा	1313, 1315/2 एवं 1318/1 1317/3	0.82 0.16	वाणिज्यिक वाणिज्यिक	आवासीय मार्ग
2.	देवरीखुर्द	69, 70/1 एवं 70/3	0.62	वाणिज्यिक	आवासीय
योग			1.60 एकड़		

2. उक्त प्रस्तावित उपांतरण विकास योजना मानचित्र में त्रुटि सुधार हेतु है।

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर आपत्तिकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया गया। सुनवाई के पश्चात् प्रस्तुत आपत्ति/सुझाव को अमान्य किया गया।

4. अतः राज्य शासन एतद्वारा बिलासपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) योजना 2031 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है। उक्त उपांतरण बिलासपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) योजना 2031 का अंगीकृत भाग होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भोसकर विलास संदिपान, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव (छत्तीसगढ़), एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व विभाग

कोण्डागांव, दिनांक 1 फरवरी 2020

क्रमांक/249/अ-82/2018-19/भू-अर्जन/2020.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोण्डागांव	माकड़ी	छिनारी	0.336	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव.	ग्राम- छिनारी में मारकण्डी नदी सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कोण्डागांव जिला कोण्डागांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकंठ टीकाम, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 13 मार्च 2020

क्रमांक 23/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
(ख) तहसील-मरवाही
(ग) नगर/ग्राम-कुम्हारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.064 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
194/1	0.012
202/2	0.008
194/2	0.004

(1)	(2)	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
		(1)	(2)
193/2	0.057		
1/2	0.057		
1/3	0.049	405/3, 406	0.016
1/1	0.065	251/3	0.016
196/3	0.016	445/1	0.065
195/1	0.097	443/1	0.028
200/1	0.016	253/3	0.040
195/2	0.016	295/1	0.004
2/2	0.146	466/10	0.040
2/3	0.202	444/1	0.028
201	0.150	460/1	0.028
2/1	0.097	460/2	0.061
197/1	0.024	466/8	0.032
197/2	0.012	444/2	0.004
196/1, 196/2	0.020	253/4, 253/6	0.053
202/5, 202/6	0.004	443/6	0.049
193/6	0.012	405/2	0.024
योग	22	486/1	0.004
		447	0.186
		240	0.081
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिवनी मरवाही मार्ग निर्माण कार्य के अंतर्गत.		249/6	0.024
		486/2	0.004
		446/1	0.097
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्डारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.		411/1	0.008
		291/1	0.081
		457/1	0.012
		443/2	0.057
		443/4	0.004
गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 13 मार्च 2020		458/2, 459/2	0.065
		469	0.028
क्रमांक 24/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-		401, 402	0.016
		291/6	0.028
		458/1, 459/1	0.049
		448/2	0.121
		247	0.040
		250/2	0.057
		405/1	0.016
		248/1	0.040
		250/1	0.032
		83/3	0.028
		252	0.016
		253/1	0.016
		476/1	0.105
(1) भूमि का वर्णन-		249/3	0.049
(क) जिला-गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही		470	0.061
(ख) तहसील-मरवाही		412/1	0.008
(ग) नगर/ग्राम-चिचगोहना		304	0.008
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.772 हेक्टेयर			

(1)	(2)	अनुसूची	
409	0.024	(1) भूमि का वर्णन-	
249/2	0.016	(क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	
253/5	0.032	(ख) तहसील-मरवाही	
484/6	0.012	(ग) नगर/ग्राम-मरवाही	
291/2	0.060	(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.248 हेक्टेयर	
294/1, 294/5	0.077	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
294/3, 294/4	0.077		
71/2	0.004	(1)	(2)
71/3	0.004		
71/4	0.004		
80/1	0.166	447/1	0.008
80/2	0.121	447/2	0.008
80/3	0.148	285/3	0.020
80/4	0.146	432	0.020
295/2	0.008	285/2	0.004
486/3	0.008	285/1	0.008
405/7	0.004	451	0.008
405/6	0.004	265/2	0.032
466/6	0.004	271/3	0.028
443/7	0.008	447/3, 449/1	0.012
411/2	0.016	268	0.016
योग	73	446/2	0.008
	2.772	446/3	0.008
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिवनी मरवाही मार्ग निर्माण कार्य के अंतर्गत.		431/2	0.008
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रा रोड के कार्यालय में किया जा सकता है.		431/3	0.008
		285/4	0.004
		285/5	0.008
		284/2	0.004
		284/3	0.004
		285/7	0.004
		284/1	0.004
		272/1	0.008
		272/2	0.008
		285/8	0.004
		285/6	0.004
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 13 मार्च 2020		योग	26
क्रमांक 25/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—			0.248
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिवनी मरवाही मार्ग निर्माण कार्य के अंतर्गत.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रा रोड के कार्यालय में किया जा सकता है.	

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, दिनांक 13 मार्च 2020

(1)

(2)

क्रमांक 26/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

(ख) तहसील-मरवाही

(ग) नगर/ग्राम-पण्डरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.650 हेक्टेयर

खसरा नम्बर

रकबा
(हेक्टेयर में)

(1)

(2)

284/1

0.004

525

0.008

557

0.012

559

0.024

225/3

0.012

225/1

0.036

225/2

0.012

215

0.036

564/1

0.008

519/2, 522

0.02

217/1

0.012

222

0.004

560/2

0.016

560/3

0.036

632

0.004

295/1

0.008

295/3

0.008

284/3

0.004

100/2

0.125

289/1

0.008

107/4

0.024

535

0.008

107/1

0.016

284/5

0.004

289/2

0.024

194/1ख

0.004

637/15

0.020

219/1

0.008

293/3, 293/4, 294/2, 295/2

0.053

630, 631/1

0.020

637/1त

0.008

637/1ग

0.008

637/1थ, 637/1द

0.008

527/2

0.016

280/2, 282, 530

0.004

99/5

0.016

105/3

0.016

236

0.016

297

0.004

योग

47

0.650

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिवनी मरवाही मार्ग निर्माण कार्य के अंतर्गत.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रा रोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा राजपूत तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड

बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2020

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/6854.—श्री टी. जे. कठाने, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बागबाहरा, जिला महासमुंद को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2018-19/1765 दिनांक 07-06-2018 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बागबाहरा, जिला महासमुंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर, जिला महासमुंद (छ.ग.) के पत्र ज्ञापन क्रमांक 1/क/अ.अ.ऊ.शाखा/2019-20, महासमुंद दिनांक 20-01-2020 द्वारा श्री आर. जी. मेहरा, अनुविभागीय कृषि अधिकारी महासमुंद को कृषि उपज मंडी समिति बागबाहरा, जिला महासमुंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है।

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री टी. जे. कठाने, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बागबाहरा, जिला महासमुंद के स्थान पर श्री आर. जी. मेहरा, अनुविभागीय कृषि अधिकारी महासमुंद को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति बागबाहरा, जिला महासमुंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

अभिनव अग्रवाल,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कोरबा (छ.ग.)

कोरबा, दिनांक 7 फरवरी 2020

क्रमांक 146/न.ग्रा.नि./2020.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि हरदीबाजार निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र को छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उसकी एक प्रति ग्राम पंचायत भवन-हरदीबाजार एवं कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा (छ.ग.) में दिनांक 10-02-2020 से कार्यालय समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्न अनुसूची में दी गई हैं।

अनुसूची

हरदीबाजार निवेश क्षेत्र की सीमाएं

- उत्तर में :** ग्राम रैकी एवं हरदीबाजार ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम हरदीबाजार एवं बम्हनीकोना ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम बम्हनीकोना एवं नेवसा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम नेवसा एवं रैकी ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा (छ.ग.) को सूचना छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है।

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, तो उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा (छ.ग.) द्वारा विचार किया जावेगा।

निरीक्षण स्थल :

01. कार्यालय ग्राम पंचायत-हरदीबाजार.
02. कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय, कोरबा (छ.ग.)

No. 146/T & C.P./2020.—Notice is hereby given that the existing land use maps for the Hardibazar Planning Area has been prepared under sub section (1) of Section 15 of the C.G. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection w.e.f. 10-02-2020 during office hours of working days in the Gram Panchayat Bhawan-Hardibazar and Office of the Deputy Director, Town and Country Planning, Korba (C.G.) during office hours of working days. The limits of Hardibazar Planning Area are detailed in schedule given Below :

SCHEDULE

Limits of Hardibazar Planning Area

NORTH	:	Village Renki and Hardibazar upto the North limit.
EAST	:	Village Hardibazar and Bahmanikona upto the East limit.
SOUTH	:	Village Bahmanikona and Newsa upto the South limit.
WEST	:	Village Newsa and Renki upto the west limit.

If there be any objection of suggestion with respect to the existing land use map, so prepared it should be sent in writing to the Deputy Director, Town and Country Planning, Korba (C.G.) within a period of thirty days from the date of publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette".

Any objection in suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the expiry of the specified period above will be considered by the Deputy Director, Town and Country Planning, Korba (C.G.).

Inspection Site :

01. Gram Panchayat Bhawan, Hardibazar, Distt.-Korba (C.G.)
02. Office of the Deputy Director, Town and Country Planning, Korba (C.G.).

के. एस. कंवर,
उप संचालक.